Uploading 01/04/2025

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ **6/3/0010/2025/1-10** दिनांक**01-04-2025**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषयः-शिकायत या जांच के संबंध में माननीय लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में।

--00--

लोकायुक्त संगठन द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि किसी शिकायत या जांच के संबंध में माननीय लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने पर कुछ ऐसे कनिष्ठ अधिकारी जैसे अनुभाग अधिकारी/ कर्मचारी अपने वरिष्ठों की ओर से उपस्थित होते हैं, जिन्हें मामले की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और न ही वे मामले में की जाने वाली उचित कार्यवाही के बारे में कोई प्रतिबद्धता जता पाते हैं।

2/ उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम की कंडिका-7 निम्नानुसार है:-

"उन मामलों के सिवाय, जिनमें किसी अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन के किसी आदेश या लिखत पर हस्ताक्षर करने के लिये विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, प्रत्येक ऐसा आदेश या लिखत मध्यप्रदेश शासन के या तो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा/की जाएगी तथा ऐसे हस्ताक्षर होने पर यह समझा जाएगा कि ऐसा आदेश या लिखत उचित रूप से प्रमाणीकृत है।"

3/ अत: निर्देशानुसार अनुरोध है किसी शिकायत या जांच के संबंध में माननीय लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने पर, यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा

कि राज्य सरकार के अवर सचिव स्तर से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, जो मामले के सभी तथ्यों से परिचित हों। उनकी ओर से माननीय लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित हो। अवर सचिव की पदस्थापना न होने की दशा में न्यूनतम अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अनुभाग अधिकारी की उपस्थिति निर्देशित की जा सकती है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

Ajay Katesaria
DEPUTY SECRETARY
GAD(O/o Deputy Secretary)

पृ.क्र.एफ **6/3/0010/2025/1-10** दिनांक**01-04-2025**

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक **245**/पी.ए.टू.सचिव/**25** दिनांक **12/03/2025** के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, (स्थापना) की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

DEPUTY SECRETARY
GAD(O/o Deputy Secretary)

Digitally signed by
AJAY KATESARIA
Date: 01-04-2025
11:16:32